

प्रेस नोट- सराहनीय कार्य दिनांक 05.12.2024

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा षडयन्त्र करके योजनाबद्ध तरीके से दिन दहाड़े ओ.सी.एफ. रामलीला मैदान में युवक की हत्या की घटना में शामिल तीन अन्य अभियुक्तगणों को किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर के नेतृत्व में व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा अपने निकट निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना सदर बाजार पुलिस टीम को ओ.सी.एफ. रामलीला मैदान में युवक की हत्या करने वाले अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 02.12.2024 को वादी मुकदमा श्री दिलीप कुमार गुप्ता पुत्र स्व० राजेन्द्र कुमार गुप्ता निवासी मो० श्यामतगंज गौटिया निकट गौटिया मंदिर, थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर मु०अ०सं० 800/2024 धारा 191(2)/191(3)/190/61(2)/103(1) बी.एन.एस. बनाम अरविन्द वर्मा आदि 14 नफर अभियुक्तगण पंजीकृत होकर विवेचना प्रभारी निरीक्षक सदरबाजार द्वारा प्रारम्भ की गयी थी ।

विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर दिनांक 04.12.2024 को नामजद प्रतिवादी 1. आशुतोष उर्फ प्रिंस राजपूत उर्फ बबुआ पुत्र सत्यपाल निवासी मोहल्ला गदियाना थाना सदरबाजार जनपद शाहजहाँपुर व 2. आर्यन उर्फ शुभांकर पुत्र स्व शिवराज निवासी क्वाटर नं.1 F13 डबल स्टोरी ओ.सी.एफ स्टैट थाना सदर बाजार, शाहजहाँपुर 3. काजल पुत्री महेश पाल, नि० निकट एल.आई.सी. पेट्रोल पम्प, अब्दुल्लागंज, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा अभियुक्त आशुतोष उर्फ प्रिंस राजपूत उर्फ बबुआ की निशादेही के आधार पर घटना मे प्रयुक्त तमंचा व कारतूस बरामद किये गये थे ।

विवेचना से प्राप्त ठोस साक्ष्यों व तथ्यों के आधार पर तथा गिरफ्तार किये गये उपरोक्त तीनों अभियुक्तों के बयानों के आधार पर इस अभियोग मे अभियुक्त 1. मोहित पुत्र राममूर्ति नि० मो० चमकनी गाडीपुरा, थाना रामचन्द्र मिशन, जनपद शाहजहाँपुर 2. अमन खाँ पुत्र भुल्लन खाँ नि० मिश्रीपुर, थाना रामचन्द्र मिशन, जनपद शाहजहाँपुर के नाम प्रकाश में आये है तथा इस मामले में नामजद अभियुक्त 1. पीयूष राठौर पुत्र सर्वेश राठौर निवासी मोहल्ला जलालनगर बजरिया, थाना सदर बाजार, शाहजहाँपुर एवं प्रकाश मे आये अभियुक्तगण 2. अमन खाँ पुत्र भुल्लन खाँ एवं 3. मोहित पुत्र राममूर्ति को आज दिनांक 05.12.2024 को गिरफ्तार करने मे थाना सदरबाजार पुलिस को सफलता प्राप्त हुयी है । उपरोक्त गिरफ्तार शुदा तीनों अभियुक्तों ने प्रश्रगत घटना मे अपने अन्य साक्ष्यों के साथ शामिल होने के जुर्म का इकबाल करते हुये मृतक आयुष गुप्ता को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उकसाकर झगडा करने के लिए रामलीला मैदान मे अन्य लडको के साथ भेजने आदि के बार मे महत्वपूर्ण तथ्य बताये है , जिनके सम्बंध मे दोनो पक्षों के लडको के इक्ड्डा होने तथा रामलीला मैदान तक आने तथा घटना के बाद भागने के रास्तो की गहरायी से छानबीन करते हुए सीसीटीवी फुटेज को चैक करके साक्ष्य संकलित किये जा रहे है । इसके अलावा इस घटना मे नामजद अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं घटना मे शामिल अन्य अज्ञात अभियुक्तों का पता लगाने के लिए चार टीमे लगायी गयी है । शीघ्र ही इस

घटना मे शामिल अभियुक्तो एवं दोनो पक्षो के लडको को उकसाकर गम्भीर घटना कारित कराने वालो की पहचान कराकर प्रभावी विधिक कार्यवाही की जाएगी । इस प्रकार उक्त अभियोग में अब तक कुल 06 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है । मुकदमा उपरोक्त में अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही शेष है । विवेचना प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. पीयूष राठौर पुत्र सर्वेश राठौर निवासी मोहल्ला जलालनगर बजरिया, थाना सदर बाजार, शाहजहाँपुर उम्र करीब 20 वर्ष
2. मोहित पुत्र राममूर्ति नि0 मो0 चमकनी गाडीपुरा, थाना रामचन्द्र मिशन, जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 20 वर्ष
3. अमन खाँ पुत्र भुल्लन खाँ नि0 मिश्रीपुर, थाना रामचन्द्र मिशन, जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास:- अभियुक्त पीयूष राठौर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास निम्नवत है:-

- a. मु0अ0सं0 259/22 धारा 323/452/504 भा0दं0वि0 थाना सदर बाजार, शाह0
- b. मु0अ0सं0 800/24 धारा 191(2)/191(3)/190/61(2)/103(1) बी.एन.एस. थाना सदर बाजार, शाह0

गिरफ्तारी करने वाली टीम थाना सदर बाजार -

1. उ0नि0 श्री दिलशाद खां,
2. उ0नि0 श्री प्रदीप शर्मा,
3. उ0नि0 श्री अहसन अली,
4. उ0नि0 श्री दिनेश कुमार,
5. उ0नि0 श्री जगेन्द्र प्रताप सिंह,
6. कां0 2070 मोनू चौधरी,
7. कां0 2545 आकिब सैफी,
8. कां0 2550 अंकित धामा,
9. कां0 2593 विनीत कुमार,